विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीका सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि

1610. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आत्सिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीका सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत द्वारा विभिन्न अफ्रीकी देशों को वर्ष 1991 में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1992 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी): (क) विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना एक द्विपक्षीय माध्यम हैं जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित 15 देशों को, जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं, तकनीकी सहायता दी जाती है : बोत्सवाना, गाम्बिया, घाना, कीनिया, लिसोथो, मलावी, मारीशस, नाइजीरिया, सेशेल्स, सीअरा लिओने, स्वाजीलैन्ड, तन्जानिया, युगाण्डा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे । इस तकनीकी सहायता के लिए सम्पूर्ण धनराशि की व्यवस्था अनुदान के आधार पर भारत सरकार करती है ।

1991-92 के दौरान उपर्युक्त देशों के 400 प्रशिक्षार्थियों ने भारत में प्रशिक्षण लिया । इसके अलावा 1991 में इस योजना के अन्तर्गत भारत से दो विशेषज्ञ सेशेल्स में प्रतिनियुक्त हुए थे ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में विशिष्ट अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का रुख

1611. **श्री अजीत जोगी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ हरारे में हाल ही में हुई अपनी बैठक के दौरान कश्मीर विवाद को हल करने में ब्रिटेन की सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) पाकिस्तान के बदले हुए तथा कठोर रुख को, जैसाकि उसके द्वारा "कश्मीर दिवस" आदि के आयोजित किए जाने पर दर्शाया गया है, ध्यान में रखते हुए सरकार इस संबंध में क्या कदम उठायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) बताया जाता है कि राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के मौके पर 18 अक्तूबर 1991 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर के मसले को सुलझाने में ब्रिटेन एक भूमिका अदा कर सकता है ।

(ख) सरकार का यह दृढ़ मत है कि पाकिस्तान के साथ जो भी मतभेद हैं वे सभी शिमला समझौते के अंतर्गत द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा सुलझाये जाने हैं ।

(ग) सरकार पाकिस्तान पर बराबर यह जोर देती रहेगी कि वह अपना नकरात्मक रवैया छोड़ दे और अपने सभी मतभेदों को शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय रूप से और शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए ईमानदारी के साथ कोशिशकरे ।